47

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–7090 / 575 दिनांकः 19-5-2017

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
पंचकुला ।

विषयः Diversion of 6.9795 ha. of forest land for setting up of National Optical Fiber Network by BSNL in Naraingarh Block, under forest division and District Ambala, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Others/21366/2016
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 187 दिनांक 4–5–2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2 सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016 / 8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयांकि उद्देश्य हेतु 6.9795 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति / स्वीकृति उपरान्त स्वीकृ निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
3. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों / नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्ष तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. यह ओ0एफ0सी0 वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमी प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा / पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिक की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा ।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा ।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों / नियमों / न्यायालय आदेशों / अनुदेशों आदि के अधीन प्रस की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित / रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से कि भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

PCA 19/2/2018

(हस्ताक्षर) 19/05/17
वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)
वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला ।

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्र ... सैन्टिड कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक 6269-70 दिनांक 21/02/18